[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, dated 21st August, 2018

G.S.R.(E).—In exercise of the powers conferred by sections 396,398,399, 403 and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) **Fourth** Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, in the Annexure, under the head VII, for note below Fee for filing e-form DIR-3 KYC, the following note shall be substituted, namely:-

"for the current financial (2018-2019), no fee shall be chargeable till the 15th September, 2018 and fee of Rs.5000 shall be payable on or after the 16th September, 2018".

[F. No. 01/16/2013 CL-V (Pt-I)]

21/8/18

K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extra ordinary, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 268(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended by:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 297(E)	28-04-2014
2.	G.S.R. 122(E)	24-02-2015
3.	G.S.R. 438 (E)	29-05-2015
4.	G.S.R. 493(E)	06-05-2016
5.	G.S.R. 48(E)	20-01-2018
6.	G.S.R. 435(E)	07-05-2018
7.	G.S.R.616 (E)	05-07-2018

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 21 अगस्त, 2018

सा.का.नि.(अ).- केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 396, 398, 399, 403 और 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. (1) इन नियमों को कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) **चौथा** संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में, उपाबंध में, शीर्षक VII के अधीन ई-प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी फाइल करने के लिए फीस के नीचे टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित नोट रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वर्तमान वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए 15 सितंबर, 2018 तक कोई फीस नहीं ली जाएगी और 16 सितंबर, 2018 को या इसके बाद 5000 रुपये की फीस देय होगी।"

IndiaCode

[फा. सं. 01/16/2013-सीएल V (पार्ट-I)]

के.वी.आर.मूर्ति
21/8/18

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम दिनांक 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 268(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, असाधारण, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे। जिनमें निम्नलिखित द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए :-

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तारीख
	सा.का.नि. 297 (अ)	28-04-2014
	सा.का.नि. 122(अ)	24-02-2015
	सा.का.नि. 438(अ)	29-05-2015
	सा.का.नि. 493(अ)	06-05-2016
	सा.का.नि. 48(अ)	20-01-2018
	सा.का.नि. 435(अ)	07-05-2018
	सा.का.नि. 616(अ)	05-07-2018
